

2025/584

काजी

फर्द अहकाम  
(नियम 15)

22.7.2025

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ  
मांगीलाल बनाम उर्मिला आदि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148(ए) जाब्ता दिवानी

प्रकरण संख्या 55 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
17.07.2025	<p>केवियट कर्ता ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र 148ए सी.पी.सी. पेश किया। वकील केवियटकर्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के संबंध में कोई वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो स्थगन/आदेश जारी करने से पूर्व मुझ केवियट कर्ता को कानूनी रूप से सूचित किया जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। केवियट से संबंधित वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर संबंधित शाखा प्रभारी मूल वाद/प्रार्थना पत्र के साथ केवियट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। पत्रावली आईन्दा तारीख 17.10.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">ॐ</p>	
22.7.2025	<p>वकील द्वारा उपस्थित आकर निवेदन किया कि प्रार्थना-पत्र आगे नहीं चलाना चाहते हैं। आज पेची में भी जाकर मौजूद रिश्तों में आवीज करवाना चाहते हैं। कर. प्रार्थना, पत्र मौजूद रिश्तों में आवीज किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र के अंत में जाकर काउंटर वकील तहसील जाह्ला दाखिल हफ्ता हो।</p> <p style="text-align: center;">ॐ</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर</p>	<p>Not Free 5/10</p>

